न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 32/2017

1–बाबूलाल पुत्र बन्नाराम जाति मेघवाल, निवासी घाटवा तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–नायब तहसीलदार नावां, तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–
1–श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार नावां राजस्व मुकदमा नम्बर 02/17 अन्तर्गत धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट दिनांक 22.03.2017

निर्णय

दिनांक:16.08.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 02/2017 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का घाटवा बनाम बाबू लाल में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का घाटवा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 608 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाडी भूमि पर गैहू, रिजका व कुआ व मकान बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा घाटवा के खसरा नम्बर 608 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 नाडी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा घाटवा के खसरा नम्बर 608 रकबा 1.62 हैक्टर गैर मुमकिन नाडी से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 405/– अक्षरे चार सौ पांच रूपये कायम किया गया। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से अपीलान्ट श्री बाबूलाल पुत्र बन्नाराम जाति मेधवाल को तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

यह है कि अपीलान्टस/अप्रार्थीगण अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2017 को प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अवगत कराया कि खसरा नम्बर 608 रकबा 1.62 हैक्टर वाकै सरहद घाटवा की भूमि किस्म चाही तृतीय जाव तृतीय भूमि स्थित रही है, जो कि पूर्व में खातेदार नाथू पुत्र धन्ना कौम बलाई के नाम से खातेदारी अंकित चली आ रही थी, तत्पश्चात उक्त तत्कालीन खातेदार नाथू पत्र धन्ना ने अपनी उक्त खसरा नम्बर 608 रकबा 1.62 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का विधिवत विक्रय पत्र मुझ अप्रार्थी के हक में निष्पादित कर दिया उक्त खातेदार नाथू द्वारा निष्पादक विक्रय पत्र में अपनी पुत्री रामेश्वरी देवी व संतरादेवी व मोहनरीाम पुत्र सरजाराम जाट की रूबरू साक्ष्य से निष्पादित करवाया था। अपीलान्ट/अप्रार्थी ने बताया कि न्यायालय भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 608 रकबा 1.62 हैक्टर गै0मु0 नाडी अतिचार बाबत कार्यवाही की गई तथा अपीलान्टस को दिनांक 10.09.2015 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होने की इतला दी गई , तब अपीलान्टस को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उक्त भूमि की खातेदारी न्यायालय आदेश द्वारा निरस्त कर गैर मु0 नाडी कर दिया गया, जो जायज अधिकारो पर बेअसर है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीम्बाना

यह है कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध नायब तहसीलदार नावां के यहा यह प्रकरण सं0 02/2017 व इससे पूर्ववर्ती मुकदमा भी इसी स्टेज पर कतैई गलत दर्ज हुआ अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ अदालत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट का सही मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.03.2017 के जरिये अप्रार्थीगण को घाटवा के खसरा नम्बर 608 रकबा 1.62 हेक्टर नाडी की भूमि से बेदखली कर आदेश देते हुऐ लगान की दर से रूपया 405/–से दण्डित किया जाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह की सिविल कारावास की सजा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दी जाने का निर्णय कर दिया साथ ही बेदखली हेतु सम्बन्धित को जारी करते हुए एस एच ओ चितावा को फर्द गिरफतारी अधिपत्र जारी करने का आदेश सुनाया गया, उस निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)– यह है रेस्पोडेन्ट ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी प्रकार की जॉच किये जो निर्णय जैर अपील पारी किया है वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि रेस्पोडेन्ट ने पत्रावली पर न तो किसी प्रकार की शहादत या सबूत लेने की आवश्यकता महसूस की, और न ही अपलान्ट को शहादत या सबूत प्रस्तुत कराने का कोई मौका ही दिया, केवल मात्र जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात निर्णय जैर अपील पारीत कर दिया, जो निर्णय कानूनी व वाकीयाती तौर पर गलत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि मुतनाजा भूमि जिस पर अपीलानट के द्वारा अतिक्रमण किया जाना हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, वह कतैई गलत बताया है। यह भूमि पैतृक समय से कृषि भूमि रही है, जो अपीलान्ट को जरिये खरिद में मिली है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

जिस भूमि पर अपीलान्ट वर्षो से काश्त करता आया है। इसके बाबत युक्तियुक्त जांच नहीं की जाकर निर्णय जैर अपील पारीत किया है, जो निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) –यह है जमीन जैर तनाजा अपीलान्ट के पिता व माता की खातेदारी में रही, तब जो रेफरेन्स किया गया, उस रेफरेन्स के निर्णय से पूर्व खातेदार अपीलान्ट की गुमाना पुत्र भेरू व हीरा पुत्र धन्ना का स्वर्गवास हो गया, और मृतक खातेदार के विरूद्ध निर्णय पारीत करते हुए खातेदारी से अपीलान्ट का नाम गलत हटाया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत प्रकरण दर्ज किये गये और बिना सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये ही निर्णय पारीत किये गये अतः निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है ।

{3}(5) – यह है रेफरेन्स का प्रकरण अभी विचाराधीन है, अन्तिम निर्णय अभी नही हुआ है एवं रेफरेन्स में पारीत निर्णय मृतक पक्षकारान के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है व इसकी कोई सूचना अपीलान्ट को कभी भी नहीं हुई है।

{4}– अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 27.03.17 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 27.03.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार नावां मु0सं0 02/17 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति, पटवारी हल्का घाटवा की अतिक्रमण की रिपोर्ट की प्रति, नोटिस की प्रति, कुर्की फर्द की प्रति, फर्द निलामी की सत्यप्रति पेश की ।

{5} – अपील न्यायालय नायब तहसीलदार नांवा के प्रं0सं0 2/17 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 22.3.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में 27.3.2017 को अपीलान्ट द्वारा पेश की है जो अन्दर मियाद हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{6} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा उक्त मुतनाजा भूमि पर उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा विवादित भूमि उसकी पैतृक समय कृषि भूमि रही है जो अपीलान्ट को जरिये खरीद में मिली है तथा जिस पर अपीलान्ट वर्षो से काश्त करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करते समय कोई युक्तियुक्त जांच नहीं की गई जिससे भी यह निर्ण्राय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है तथा निवेदन किया है कि उसकी अपील को स्वीकार की जावें।

{7} –बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। पटवारी हल्का घाटवा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम घाटवा, के खसरा नम्बर 607 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 नाडी पर गेहू रिजका व कुआं व मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी दिनांक 16.3.2017 को उपस्थित होकर अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा घाटवा के ख0नं0 608 हैक्टयर किस्म गै0मु0 नाड़ी में से 1.62 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही की गयी है।

अधिवक्ता अपीलान्ट का अपनी बहस में मुख्य कथन यह रहा कि न्यायालय नायब तहसीलदार के निर्णय से पूर्व अपीलान्टस को यह विदित हुआ कि तहसीलदार नावां द्वारा किए गए रेफरेन्स को अति0जिला कलेक्टर डीडवाना ने अनुशंषा कर मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर भेजा गया, इस दौरान गुमाना पुत्र भेरू, हीरा पुत्र धन्ना की मृत्यु हो गयी । इनकी मृत्यु के पश्चात उक्त रेफरेन्स

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

का निर्णय किया गया, जो कानूनन गलत था। इसी निर्णय के आधार पर अपीलान्टस की खातेदारी हटा दी गयी। इस प्रकार उक्त रेफरेन्स में अपीलान्टस को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णित रेफरेन्स/एल.आर./6121/2005/नागौर निर्णय दिनांक 10.01.2013 उपलब्ध है। निर्णय अनुसार ग्राम घाटवा के ख0नं0 189 में से अप्रार्थीगण श्री नाथू पुत्र श्री धन्ना, श्री गुमाना पुत्र श्री भैरू, श्री हीरा पुत्र श्री घन्ना एवं श्रीमती माली पत्नी श्री बन्ना जाति बलाई के पक्ष में 10–10 बीधा भूमि का नियमन आपास्त किया गया है एवं वर्तमान समस्त इन्द्राजों को हटाया जाकर इसे पुनः पूर्वानुसार सिवायचक गैर मुमकिन नाला दर्ज करने का आदेश तहसीलदार नावां को दिए गए हैं। अगर गुमान पुत्र भेरू, एवं हीरा पुत्र धन्ना की मृत्यु दौराने रेफरेन्स विचारण हुई है तो अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन वर्ष 2016 में अतिचार दर्ज करने के उपरान्त भी आज तक पत्रावली पर ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना जाहिर भी नहीं की है न ही कोई ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया है।

अपीलान्ट द्वारा इस रेफरेन्स के विरूद्ध सक्षम न्यायालय से प्राप्त कोई ऐसा आदेश पेश नहीं किया है जिसके द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 10.1.2013 पर कोई रोक हो। वर्तमान में भूमि राजकीय भूमि होकर गै0मु0 नाडी दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है जिस पर कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 नाडी की भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली अर्थदण्ड एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से तीन माह के सिविल कारावास की सजा का भी आदेश पारित किया गया है। भूमि गै0मु0 नाडी राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता है। पूर्व में इसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये नियमन को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपास्त किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जाकर भूमि की पूर्ववत किस्म दर्ज करने के आदेश दिये जा चुके है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पटवारी हल्का घाटवा द्वारा पेश अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 29.12.16 के अनुसार यह कही भी अंकित नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। दिनांक 16.3.2017 को पटवारी हल्का के बयान पत्रावली पर उपलब्ध है लेकिन उन्हे प्रमाणितकरण के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण नहीं किया गया। पटवारी हल्का के बयानो में यह कही भी अंकन नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय की पूर्व पत्रावली सं 29/16 निर्णय दिनांक 31.10.16 की पालना में भू0अ0नि0 घाटवा एवं पटवारी हल्का द्वारा किस दिनांक को अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखली किया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ठोस कार्यवाही का अभाव है जिससे अतिक्रमियों को अतिक्रमण के मामले में सिविल कारावास की कठोर सजा दी गयी है। वह उचित प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अर्थदण्ड एवं बेदखली का आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

:::: **आदेश** ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.3.2017 में दी गयी तीन माह की सिविल कारावास की सजा को माफ करते हुए जुर्माना व बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांकः 16.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)